

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

1. राजेश कुमार पुत्र इन्द्राज
जाति जाट निवासी बिराण

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 143/2021

निर्णय दिनांक :- 24/11/2021

उन्वान

बनाम

1. भागी देवी पानी इन्द्राज

2. लक्ष्मी देवी पुत्री इन्द्राज

3. रणसिंह पुत्र इन्द्राज

जाति जाट निवासी बिराण

4. राजू सरकार तहसीलदार भादरा

5. SBI शाखा डाकड़ी

वादी की ओर से वकील वीरेन्द्र वैनीवाल की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील विजेन्द्र वैनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख..... को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक 4 AMS के खाता संख्या 5918 के मु.न. 45 के किला नं० 16 ता 18, 23 ता 25, मु.न. 46 के किला नं० 11, 20, 21, मु.न. 47 के किला नं० 1, मु.न. 48 के किला नं० 3, 4, 5 इस प्रकार कुल किला 13 की कुल 3.2890 हे. नदरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 भागी देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उक्त वाद भूमि में वादी राजेश कुमार व प्रतिवादी सं० 1 भागी देवी, प्रतिवादी सं० 2 लक्ष्मी देवी, प्रतिवादी सं० 3 रणसिंह प्रत्येक की बहिस्सा बराबर के खातेदार कावतकार घोषित किये जाते हैं। यदि वाद भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो बटम मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल वसामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/11/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़